प्रारूप–2

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।

आदेश–बे0शि0/शि0सहा0/मान्यता/NOC-405/14/ दिनांक 31.7.2022

सेवा में,

प्रबन्धक ब्राईट लैण्ड पब्लिक स्कूल (अंग्रेजी माध्यम)
निकट अमरी चौराहा सिरसखेड़ा कनलेट मुरादाबाद।

विषय:– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 29.10.11 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं ब्राईट लैण्ड पब्लिक स्कूल निकट अमरी चौराहा सिरसखेड़ा कनलेट मुरादाबाद को तारीख 25.7.2022 से दिनांक 24.7.2025 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अंनतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधी है:–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा– 8 के पश्चात मान्यता/संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25% प्रतिशत तथा आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधाविहीन समुह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा–2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:–
   - (1). प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   - (2). किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
   - (3). प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   - (4). प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
   - (5). अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वो विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   - (6). अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताऐं नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताऐं, अर्जित करेंगें।
   - (7). अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्य का पालन करता है और
   - (8). अध्यापक स्वंय को किसी निजि अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेगें।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठयक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमों को बनाये रखेगा, अंतिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल – लगभग 8 बीघा
कुल निर्मित क्षेत्र – 2 बीघा
क्रीडास्थल का क्षेत्रफल – 3 बीघा
कक्षाओं की संख्या – 10

Manager
Brightland Public School
Sahupur (Moradabad)

Principal
Brightland Public School
Sahupur (Moradabad)

प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय-सह-भण्डारागार के लिए कक्ष - दो कक्ष
बालक, और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - दो
पेयजल सुविधा - हैण्डपम्प
मिड डे मील पकाने के लिए रसोई -
बाधारहित पहुँच उपलब्ध है
अध्यापन पठन सामग्री/ क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धिता - उपलब्ध है।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैरमान्यता प्राप्त कक्षाऐं नहीं चलाये जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय् प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टिओं के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक NUPS-Mo-44/22 इतना है, कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के दिए अनुदेशो का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धित शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाएं।
17. सलंग्न उपांबध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

यदि आपके द्वारा प्रस्तुत पत्राजातों में कोई तथ्य छिपाया हुआ पाया जाता है और उसक प्रकाश में आने पर इस मान्यता आदेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडता है तो बिना किसी नोटिस के मान्यता समाप्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय
3/7/22
(मुन्ने अली)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुरादाबाद।

पृ०सं०-बे०शि०/शि०सहा०/मान्यता/ NUPS-Mo-44/22 /2012-13 दिनांक-उक्तवत।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),द्वादश मण्डल मुरादाबाद।
3. समाज कल्याण अधिकारी/पिछ्डा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,मुरादाबाद।
4. सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी,मुरादाबाद।

(मुन्ने अली)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुरादाबाद।

महबूब अली
Manager
Brightland Public School
Sahupur (Moradabad)

Principal
Brightland Public School
Sahupur (Moradabad)

Scanned with OKEN Scanner